

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में प्रभारी यातायात द्वारा चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान, वाहन चालकों को पढाया यातायात नियमों का पाठ...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने व यातायात व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्देश्य से निरन्तर सघन चेकिंग/जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 05.07.2024 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु बिना हेलमेट/शीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया व दुर्घटना से बचाव हेतु हेलमेट/शीटबेल्ट के महत्व को बताते हुए यातायात नियमों का पाठ पढाया गया।

इसी क्रम में शहर के मुख्य स्थानों पर काली फिल्म, हूटर, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट, हेलमेट, सीट बेल्ट की चेकिंग की गई एवं चालान किए गए। यातायात पुलिस टीम द्वारा आमजनमानस/वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करते हुए सभी को यातायात नियमों का पालन किये जाने की अपील की जा रही है, जिससे जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके।



उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम।
नये कानूनों में महिलाओं को प्रदान किये गये अधिकारों की भी दी गई जानकारी...।


उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 05.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के समस्त थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त उनके साथ किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उनकी सहायतार्थ नये कानूनों में महिला सम्बन्धी अपराधों के प्रति उनके अधिकारों की भी जानकारी प्रदान की गयी है साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी व उनके प्रयोग के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया एवं साइबर अपराध होने पर साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये जाने के बारे में भी बताते हुए जागरूक किया जा रहा है।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 05.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर सदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीड़ितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 05.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं को लेकर आये उन सभी की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित किया जाये किसी भी फरियादी को परेशान न किया जाये; सभी से सम्मान पूर्वक बर्ताव किया जाये, निर्देशित किया गया कि घटना की तथ्यात्मक जानकारी करते हुये गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये याद रखे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिये, किसी भी पीड़ित से गलत व्यवहार की सूचना प्राप्त होने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 05.07.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ.नि. अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराह का. शिवकुमार द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त धीरेन्द्र राजपूत पुत्र भूप सिंह राजपूत उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सिजौरा थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित केस नं० 322/2023 धारा 498 भादवि थाना खरेला में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को कस्बा चरखारी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

धीरेन्द्र राजपूत पुत्र भूप सिंह राजपूत उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सिजौरा थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ.नि. अनूप कुमार पाण्डेय
2. का.शिवकुमार



थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने युवती के साथ जबरन छेड़छाड़ की घटना कारित करने, वीडियो बना लेने व वायरल करने के नाम पर वसूली करने वाले 02 नफर वाछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 05.07.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह का0 कुलदीप सिंह, का0 जय प्रकाश द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं 221/2024 धारा- 76/115(2)/308(5)/333/351(3)/317(2) बीएनएस-2023 व 3(2)(5)/3(2)5(क)/3(1)(ब)(1) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वाछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. संजय नायक पुत्र केशव उर्फ केशव कान्त उम्र 23 वर्ष निवासी मु0 गांधी आश्रम ग्राम जैतपुर कुलपहाड़ जिला महोबा 2. योगेश राजपूत उर्फ शाखा पुत्र चन्द्रशेखर निवासी मंगरौलकला थाना कुलपहाड़ जिला महोबा उम्र 19 वर्ष को एस. के. महाविद्यालय जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त योगेश राजपूत उर्फ के कब्जे से बरामद मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वसूले गये 2000 रुपये नगद एवं पीडिता के अश्लील वीडियो बनाने में प्रयुक्त एक अदद मोवाइल एन्ड्राइड सैमसंग गैलेक्सी रंग हल्का नीला तथा तथा अभियुक्त संजय नायक उपरोक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 1500 रुपये नगद एवं पीडिता की अश्लील वीडियो / फोटो बनाने में प्रयुक्त एक अदद मोवाइल सैमसंग एन्ड्राइड रंग गहरा नीला बरामद हुआ जिसको कब्जा पुलिस में लिया गया। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरि की गयी है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. संजय नायक पुत्र केशव उर्फ केशव कान्त उम्र 23 वर्ष निवासी मु0 गांधी आश्रम ग्राम जैतपुर थाना कुलपहाड़ महोबा

2. योगेश राजपूत उर्फ शाखा पुत्र चन्द्रशेखर उम्र 19 वर्ष निवासी मंगरौलकला थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह
2. का0 कुलदीप सिंह
3. का0 जय प्रकाश



पौधरोपण- “एक पेड़ मां के नाम” थीम के तहत जनपद महोबा पुलिस के समस्त कार्यालय, थाना एवं शाखा परिसर में जनपदीय पुलिस के अधि. एवं कर्म. द्वारा वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया एवं अभियान से जुडकर मां के नाम एक पेड़ लगाने की अपील की गई...।

शासन की मंशानुसार वृहद वृक्षारोपण अभियान 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के दृष्टिगत आज दिनांक 05.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व/निर्देशन पर जनपद महोबा पुलिस के द्वारा “एक पेड़ मां के नाम” थीम के तहत जनपद महोबा पुलिस के समस्त कार्यालय, थाना एवं शाखा परिसर में जनपदीय पुलिस के अधि. एवं कर्म. द्वारा जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों, सम्भ्रान्त लोगों, समाजसेवियों के साथ मिलकर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कर अभियान की शुरुआत की गयी है।

जिसके तहत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है जनपदीय पुलिस का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा से वृक्षारोपण किया जाये, पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी से अपील की गयी है कि “एक पेड़ मां के नाम” अभियान से जुडकर सभी लोग मां की स्मृति अथवा सम्मान में कम से कम एक पौधे को अवश्य रोपें एवं उस पौधे की देखभाल करें जिससे उस पेड़ के साथ आप आत्मीय मन से भी जुड पायेंगे एवं उस पेड़ को नया जीवन प्रदान करेंगे, वृक्ष प्रकृति की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक हैं, वृक्ष लगाकर हम अपने पर्यावरण व परिवेश को स्वच्छ व सुन्दर बना सकते हैं। प्रकृति के प्रति सकारात्मक रवैये को लेकर सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधे लगाने चाहिए, तभी पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ा समय प्रकृति के लिये जरूर निकाले तथा कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए।



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने हत्या के वाछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 05.07.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के 30नि0 भगवानदीन मय हमराह का0 अंशुल कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 156/24 धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त रामसहाय पुत्र स्व. नन्हे अहिरवार उम्र करीब 56 वर्ष निवासी ग्राम फतेहपुर थाना चरखारी जनपद महोबा को मदारन देवी गुप हिल्स ब्यू कालोनी महाराजनगर कालोनी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामसहाय पुत्र स्व.नन्हे अहिरवार उम्र करीब 56 वर्ष निवासी ग्राम फतेहपुर थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. 30नि0 भगवानदीन
2. का0 अंशुल कुमार

